पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–8] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2007 ई0 (अग्रहायण 03, 1929 शक सम्वत्) [संख्या–47

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	275–280	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	337–339	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

संख्या 5961 / VII–I–07 / 14–ख / 2005

प्रेषक,

श्री पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 05 नवम्बर, 2007

विषय–खनिज नीति 2001 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3498 / औ0वि0–22 ख / 2001, दिनांक 17 अक्टूबर, 2002 के प्रस्तर 2.7 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त प्रस्तर में इंगित शर्तों / दिशा–निर्देशों के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं को पढ़े जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(क) 2.7 (1) "स्कूल" से पहले "आबादी" (एक स्थान पर कम से कम 5 परिवार) शब्द भी पढ़ा जाय।

(ख) "नहर" का तात्पर्य सिंचाई / लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित या उनके नियंत्रणाधीन छोटी–बड़ी नहरों / गूलों से है।

(ग) राज्य में पूर्व में स्थापित क्रेशरों को पुनर्स्थापित (Relocate) करने हेतु पुनः अनुमति / स्वीकृति (Fresh Approval) की आवश्यकता नहीं होगी। केवल उक्त पुनर्स्थापन (Relocate) की सत्यता सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी।

(घ) पुनर्स्थापन (Relocate), आबादी से दूर एक विशेष स्थान पर एक से अधिक स्टोन क्रेशर स्थापित किए जा सकते हैं। इन स्टोन क्रेशरों के मध्य की दूरी हेतु निर्धारित मानक की शर्त लागू नहीं होगी।

2–स्टोन क्रेशरों हेतु संशोधित उपरोक्त उल्लिखित शर्तें पल्वराईजर (Pulverizer) एवं नेचूरल स्क्रीनिंग प्लांट (Natural Screening Plant) पर भी लागू होंगे।

3–उपरोक्त व्यवस्था पूर्वगामी प्रभाव से लागू की जाय, जिससे कि वर्तमान में आबादी में चल रहे क्रेशरों को तुरन्त बन्द किया जा सके।

4–उक्त शासनादेश संख्या : 3498 / औ0वि0–22 ख / 2001, दिनांक 17 अक्टूबर, 2002 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

आवास विभाग

अधिसूचना

31 अक्टूबर, 2007 ई0

संख्या 2243 / V / आ0–2007–26(न0वि0) / 01–अधिसूचना संख्या–878 / V–आ0–2007–26(न0वि0) / 2001, दिनांक 30–4–2007 को अतिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा–15 (क)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत वाद / अपील / निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई हेतु श्री अरूण कुमार ढौंडियाल, अपर सचिव, आवास विभाग,

उत्तराखण्ड शासन को अधिकृत किया जाता है। साथ ही उत्तर प्रदेश नगर-नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा 41(3), उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (यथासंशोधित) की धारा 38(3) तथा अन्य विभिन्न विविध प्रावधानों के अन्तर्गत शासन को प्रस्तुत अपील/निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई हेतु भी श्री अरूण कुमार ढौंडियाल को राज्य सरकार की ओर से निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

2–श्री ढौंडियाल को निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य सरकार में आवास विभाग के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न विधिक प्रकरणों में सुनवाई के पश्चात् यथा आवश्यकता स्थगनादेश एवं अंतिम आदेश पारित करेंगे।

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

31 अक्टूबर, 2007 ई0

संख्या 980/XIX/2007–82/2006–राज्यपाल, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ, अर्थात् ग्राम खण्ड रायवाला, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून में खाद्यान्न भण्डार हेतु गोदाम के निर्माण के लिए 1.6180 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है;

2–चूंकि, राज्यपाल की यह राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, जैसा कि उक्त भूमि की लोक प्रयोजनार्थ, अर्थात् ग्राम खण्ड रायवाला, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून में खाद्यान्न भण्डार हेतु गोदाम के निर्माण के लिये आवश्यकता है और इस अत्यावश्यकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 क के अधीन जांच करने में लगने वाले सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया जाये। अतएव, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 क के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

अनुसूची

जिला	परगना	मौजा	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5
देहरादून	परवादून	खण्ड–रायवाला	33	0.0550
			34	0.1100
			35	0.0800
			36	0.0550
			38	0.0300
			39	0.0800
			40 क	0.0800
			40 ख	0.1000
			41	0.1100
			42	0.0200
			43	0.0300
			44	0.0600
			45	0.0600
			46	0.0100
			47	0.0150
			48	0.0140
			49	0.0100

1	2	3	4	5
देहरादून	परवादून	खण्ड–रायवाला	50	0.0040
			51	0.0550
			52	0.0600
			53	0.0600
			54	0.1500
			55	0.1900
			56	0.0400
			57	0.0300
			58	0.0500
			59	0.0400
			60	0.0100
			61	0.0100
			योग	1.6180 हेक्टेयर

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है–जिला देहरादून में ग्राम खण्ड रायवाला, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश जनपद देहरादून में खाद्यान्न भण्डार हेतु गोदाम निर्माण के लिये।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल–नक्शा (साइट–प्लान) कलेक्टर, देहरादून के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

रणबीर सिंह,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 980/XIX/2007-82/2006, Dehradun, dated October 31, 2007 for general information:

No. 980/XIX/2007-82/2006
Dated Dehradun, October 31, 2007

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 01 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose, namely for construction of Godown for storage of food grain on 1.6180 Hectare of land in Village Khand Raiwala, Pargana Parwadun, Tehsil Rishikesh, District Dehradun.

2. WHEREAS, the Governor is of the opinion that the provisions of sub-section (4) of section 17 of the said Act are applicable to the said land in as much as the said land is urgently required for construction of Godown for storage of food grains Village Khand Raiwala, Pargana Parwadun, Tehsil Rishikesh, District Dehradun, and that in view of the pressing urgency, it is necessary to eliminate the delay likely to be caused by an inquiry under section 5A of the said Act. Therefore, The Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5A of the said Act shall not apply to the said land.

SCHEDULE

District	Pargana	Mauza	Khasra no.	Approximate Area (in Hect.)
1	2	3	4	5
Dehradun	Parwadun	Khand-Raiwala	33	0.0550
			34	0.1100
			35	0.0800
			36	0.0550

1	2	3	4	5
Dehradun	Parwadun	Khand-Raiwala	38	0.0300
			39	0.0800
			40 A	0.0800
			40 B	0.1000
			41	0.1100
			42	0.0200
			43	0.0300
			44	0.0600
			45	0.0600
			46	0.0100
			47	0.0150
			48	0.0140
			49	0.0100
			50	0.0040
			51	0.0550
			52	0.0600
			53	0.0600
			54	0.1500
			55	0.1900
			56	0.0400
			57	0.0300
			58	0.0500
			59	0.0400
			60	0.0100
			61	0.0100
			Total	**1.6180 Hect.**

For What Purpose Required–For Construction of the Godown on 1.6180 Hectare of land for storage of food grains in Village Khand Raiwala, Pargana Parwadun, Tehsil Rishikesh, District Dehradun.

NOTE--A Site-plan of the land may be inspected by the interested person in the office of the Collector, Dehradun.

By Order,
RANBIR SINGH,
Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय ज्ञाप

01 नवम्बर, 2007 ई0

संख्या 858/xxxi(13)G/06-2(1)/05–सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 364/xxxi(13)G/06–2(3)/2006, दिनांक 22 मई, 2007, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी हेतु उपयुक्त स्थान के चयन के संबंध में गठित एकल सदस्यीय चयन आयोग का कार्यकाल 01–04–2007 से 31–10–2007 तक बढ़ाया गया था, के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय उक्त कार्यालय ज्ञाप में इंगित शर्तों के अधीन आयोग का कार्यकाल दिनांक 01–11–2007 से 30–04–2008 तक पुनः बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–आयोग से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक परिस्थिति में 30–04–2008 तक अपनी रिर्पोट शासन को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,
हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 नवम्बर, 2007 ई0

संख्या 1116 / xxxii / 2007–तात्कालिक प्रभाव से श्री नवीन चन्द्र उप्रेती, व्यवस्थाधिकारी को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु0 8000–13500 पर अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–श्री उप्रेती को वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के पद पर नियमानुसार दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

3–श्री उप्रेती को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति राज्य सम्पत्ति विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव।

परिवहन अनुभाग–01

अधिसूचना

08 नवम्बर, 2007 ई0

संख्या 770 / IX / 246 / 2007–मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2), सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 56 के उप नियम (8) खण्ड (दो) तथा उप नियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा में श्री श्याम नारायण पाण्डे, पुत्र श्री यतीन्दर प्रसाद पाण्डे, निवासी ग्राम–नया संगरौली, पो0 ओ0 जयंती, जिला अल्मोड़ा को, उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, गैर सरकारी सदस्य के रूप में, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 770/IX/246/2007, Dehradun, dated November 08, 2007 for general information:

No. 770/IX/246/2007
Dated Dehradun, November 08, 2007

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) read with the Clause (2) of sub-rule (8) and sub-rule (9) of Rule 56 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 (As applicable to The State of Uttarakhand, the Governor is pleased to accord sanction to the nomination of Sri Shyam Narayan Pande of S/o Shri Yatinder Prasad Pandey, resident of village New Sangrauli, P.O., Jayati, District Almora as non-official member in the Regional Transport Authority, Almora to exercise the powers and discharge the duties conferred by sub-rule (3) of section 68 of the said Act, for a period of two years with effect from the date of issue of this notification.

By Order,

S. RAMASWAMY,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 47 हिन्दी गजट / 549–भाग 1–2007 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2007 ई0 (अग्रहायण 03, 1929 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

November 07, 2007

No. 137/XIV--85/Admin.A/2007--Sri Mohd. Sultan, Civil Judge (Jr. Div.), Laksar, Distt. Hardwar, is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 17.10.2007 to 26.10.2007.

November 14, 2007

No. 138/XIV-79/Admin.A/2007--Smt. Neelam Ratra, Judicial Magistrate, Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned medical leave fo 12 days, *w.e.f.* 22.10.2007 to 02.11.2007.

November 15, 2007

No. 139/XIV-5/Admin.A/2007--Sri B.P. Jasola, Special Judicial Magistrate, Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 10 days, *w.e.f.* 22.10.2007 to 31.10.2007.

By Order of the Court,

Sd/-
RAVINDRA MAITHANI,
Additional Registrar.

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

03 नवम्बर, 2007 ई०

पत्रांक 2518 / आयु० क० उत्तरा० / फार्म–अनु० / 2007–08 / आ०घो०प० / फार्म–सी / टिकट / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे०दून–उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के नियम 85 के उपनियम (12) सहपठित उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अध्यादेश, 2005 नियम 31(8) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र / फार्म सी / फार्म–एफ / टिकट जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 85 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र०सं०	व्यापारी का नाम व पता	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों / टिकटों का क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री अग्रवाल इन्टरप्राइजेज, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर	आयात घोषणा पत्र संख्या–01	U.K. VAT-A 2007 क्रमांक 006003

06 नवम्बर, 2007 ई०

पत्रांक 2563 / आयु० क० उत्तरा० / फार्म–अनु० / 2007–08 / आ०घो०प० / फार्म–सी / टिकट / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे०दून–उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के नियम 85 के उपनियम (12) सहपठित उत्तराखण्ड, मूल्यवर्धित कर अध्यादेश, 2005 नियम 31(8) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र / फार्म–सी / फार्म–एफ / टिकट जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 85 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र०सं०	व्यापारी का नाम व पता	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों / टिकटों का क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री सूर्या रोशनी लि०, काशीपुर	आयात घोषणा पत्र संख्या–04	U.A. VAT-A(T) 2006 क्रमांक 044216, 044407, 045010, 296745
2.	सर्वश्री शिप्रा सांईटिफिक ट्रेडर्स, रुद्रपुर	आयात घोषणा पत्र संख्या–02	U.A. VAT-A(T) 2006 क्रमांक 283566, 283569

एल० एम० पन्त,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड,

23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून

प्रभार प्रमाण–पत्र

14 नवम्बर, 2007 ई0

संख्या 1593/01/वै0प0/नि0को0वि0से0/2007–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 310/XXVII(6)/2007, दिनांक 02 नवम्बर, 2007 के अनुपालन में जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, दिनांक 14–11–2007 के अपरान्ह में निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, के पद का कार्यभार निम्न प्रकार हस्तान्तरित किया गया।

यशपाल सिंह,
निदेशक,
मुक्त अधिकारी।

कुन्दन लाल,
संयुक्त निदेशक,
मोचक अधिकारी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 47 हिन्दी गजट/549–भाग 1–क–2007 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।